राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–708/2025

कविता कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. शक्ति सिंह शेखावत पटवारी नरायना ए/फुलेरा जरिये जिला कलक्टर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर खो–नागोरियान/सांगानेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण जगतपुरा/सांगानेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण 10 माह की अल्पावधि में किया गया है, जो पूर्णतया अनुचित है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। यह प्रकट नहीं होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 कों अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। अपीलार्थी को सांगानेर जिला जयपुर में एक पटवार मण्डल से दूसरे पटवार मण्डल में स्थानांतरित किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)